

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या :9../2019

सरकार जयें लैण्ड होल्डर तहसीलदार मांगरोल



♠ बनाम ♠

रामलाल पुत्र घांसी वगै० जाति मीणा निवासी कुशिया मांगरोल जिला बारां

....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

दायरा दिनांक: 29.01.2019

निर्णय दिनांक : 29.01.2019

पटवारी हल्का किशनपुरा, भू अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) के जयें प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत इस आशय का प्राप्त हुआ है कि ग्राम कुशिया में मुताबिक सेटलमेंट जमाबंदी सं० 2044-2063 में खाता संख्या 70 में रामलाल पि० घांसी हि० 1/4 व देवकरण, धनराज, मोरपाल, वीरभान पृथ्वीराज पि० रामलाल के नाम से खसरा नं० 173 रकबा 0.18, 196 रकबा 0.15 है०, खसरा नं० 300 रकबा 2.17 है०, खसरा नं० 303 रकबा 1.00 है०, खसरा नं० 305 रकबा 2.90 है०, खसरा नं० 315 रकबा 0.96 है०, खसरा नं० 319 रकबा 2.41 है०, खसरा नं० 321 रकबा 2.21 है०, खसरा नं० 322 रकबा 3.58 है०, खसरा नं० 323 रकबा 3.29 है०, खसरा नं० 326 रकबा 0.79 है० कुल कित्ता 11 कुल रकबा 19.64 है० भूमि दर्ज थी।

नामां० संख्या 38 दिनांक 15.01.1993 से लिफ्ट नहर निकलने से खसरा नं० 323 रकबा 3.29 है० में से 0.21 है० कम कर गै० मु० नहर सिचाई विभाग के नाम दर्ज की गई। तथा वर्तमान मे खसरा नं. 323/452 रकबा 0.21 है० किस्म गै०मु० नहर सिचाई विभाग के नाम दर्ज है।

वाद मे नामान्तकरण संख्या 187 तस्दीक दिनांक 01.02.2007 से खाता विभाजन होने से

1. वर्तमान में खाता नं. 28 मे जगदीश, प्रेमचंद पुत्र देवकरण हिस्सा 4/5 सुनिता पुत्री देवकरण हिस्सा 1/5 जाति मीणा सादेह. के नाम खसरा नं. 173 रकबा 0.18 है०, खसरा नं. 303 रकबा 1.00 है०, खसरा नं. 322 रकबा 2.62 है० कुल कित्ता 3 रकबा 3.80 है० दर्ज है।
2. खाता नं. 02 मे अशोक, लोकेश पुत्र धनराज जाति मीणा सा देह. के नाम से खसरा नं. 300 रकबा 2.17 है० खसरा नं. 305 रकबा 1.78 है० भूमि दर्ज है।
3. खाता नं. 74 मे मोरपाल पुत्र रामलाल जाति मीणा सा देह. के नाम खसरा नं. 305/448 रकबा 1.12 है० खसरा नं. 319 रकबा 2.41 है०, खसरा नं. 326 रकबा 0.79 है० कुल कित्ता 3 रकबा 4.32

4. खाता नं. 131 वीरभान पुत्र रामलाल जाति मीना सा. दैह. के नाम खसरा नं. 196 रकबा 0.15 है0, खसरा नं. 315/450 रकबा 0.80 है0, खसरा नं. 323 रकबा 3.08 है0 कुल किता 3 रकबा 4.03 है0 दर्ज है।
5. खाता नं. 25 में ललित कुमार पुत्र पृथ्वीराज, निशा पुत्री पृथ्वीराज, राममूर्ति पत्नि स्व. पृथ्वीराज जाति मीणा सादेह. के नाम खसरा नं. 315 रकबा 0.16 है0, खसरा नं. 321 रकबा 2.21 है0, खसरा नं. 322/541 रकबा 0.96 है0 कुल किता 3 रकबा 3.33 है0 भूमि दर्ज है।

लिफ्ट नहर का रकबा नामान्तकरण 38 दिनांक 15.01.1993 से 323 मे से कम किया गया है जो खसरा नं. 323/452 रकबा 0.21 है0 गै0मु0 नहर सिचाई विभाग के खाते दर्ज है।

जबकि मौके पर लिफ्ट नहर खसरा नं. 322 रकबा 0.21 है0 मे होकर निकली हुयी है।

खसरा नं. 322 व 323 मुताबिक मिलान क्षेत्रफल सेटलमेंट पूर्व के खसरा नं. 283 मिन से बनाये गये है। खसरा नं. 322 रकबा 2.62 है0 वर्तमान मे जगदीश, प्रेमचंद पुत्र देवकरण हिस्सा 4/5 सुनिता पुत्री देवकरण हिस्सा 1/5 जाति मीना सादेह. के नाम से खाते दर्ज है। लिफ्ट नहर के रकबे की दुरुस्ती करने पर खसरा नं. 322 रकबा 2.62 है0 मे से 0.21 है0 कम किया जाकर खसरा नं. 322 के रकबा 0.21 है0 को किसम गै0मु0 नहर सिचाई विभाग के खाते मे दर्ज किया जाना है। तथा पूर्व मे खसरा नं. 323/452 रकबा 0.21 है0 किसम गै0मु0 नहर को वापिस सिचाई विभाग के खाते मे से जगदीश, प्रेमचंद पुत्र देवकरण हिस्सा 4/5 सुनिता पुत्री देवकरण जाति मीणा सादेह. के खाते दर्ज किया जाना है। तथा किसम नहरी प्रथम दर्ज की जानी है।

उपरोक्तानुसार दुरुस्ती किये जाने पर जगदीश, प्रेमचंद पुत्र देवकरण वगै0 के खाते मे खसरा नं. 173 रकबा 0.18 है0, खसरा नं. 303 रकबा 1.00 है0, खसरा नं. 322 रकबा 2.41 है0 व खसरा नं. 323/452 रकबा 0.21 है0 कुल किता 4 रकबा 3.80 है0 दर्ज होना इस प्रकार पूर्व मे खाते मे दर्ज रकबे मे कोई अंतर नही आयेगा। तथा सिचाई विभाग के खाते मे खसरा नं. 322 रकबा 0.21 है0 किसम गै0मु0 नहर दर्ज होगी।

उक्त प्रकार का प्रार्थना पत्र जर्जे लैण्ड होल्डर प्राप्त होने पर प्रकरण दिनांक 29.01.2019 को दर्ज रजिस्टर किया गया।

अतः प्रार्थना पत्र के समस्त सलंगन दस्तावेजात 1-हाल नकल जमाबंदी 2074-77 खाता संख्या 163 ग्राम कुशिया 2. हाल नकल जमाबंदी 2074-77 खाता संख्या 131 ग्राम कुशिया 3. हाल नकल जमाबंदी 2074-77 खाता संख्या 74 ग्राम कुशिया 4. हाल नकल जमाबंदी 2074-77 खाता संख्या 28 ग्राम कुशिया 5. हाल नकल जमाबंदी 2074-77 खाता संख्या 2 ग्राम कुशिया 6. हाल नकल जमाबंदी 2074-77 खाता संख्या 125 ग्राम कुशिया 7. प्रतिलिपि नक्सा की प्रमाणित प्रति की रोशनी में प्रकरण का भली प्रकार

अध्ययन, अवलोकन एवं मनन के उपरान्त आदेश है कि लिफ्ट नहर का रकबा नामान्तकरण 38 दिनांक 15.01.1993 से 323 मे से कम किया गया है जो खसरा नं. 323/452 रकबा 0.21 है0 गै0मु0 नहर सिचाई विभाग के खाते दर्ज है। जबकि मौके पर लिफ्ट नहर खसरा नं. 322 रकबा 0.21 है0 मे होकर निकली हुयी है। खसरा नं. 322 व 323 मुताबिक मिलान क्षेत्रफल सेटलमेंट पूर्व के खसरा नं. 283 मिन से बनाये गये है। खसरा नं. 322 रकबा 2.62 है0 वर्तमान मे जगदीश, प्रेमचंद पुत्र देवकरण हिस्सा 4/5 सुनिता पुत्री देवकरण हिस्सा 1/5 जाति मीना सादेह. के नाम से खाते दर्ज है। लिफ्ट नहर के रकबे की दुरुस्ती करने पर खसरा नं. 322 रकबा 2.62 है0 मे से 0.21 है0 कम किया जाकर खसरा नं. 322 के रकबा 0.21 है0 को किसम गै0मु0 नहर सिचाई विभाग के खाते मे दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा पूर्व मे खसरा नं. 323/452 रकबा 0.21 है0 किसम गै0मु0 नहर को वापिस सिचाई विभाग के खाते मे से जगदीश, प्रेमचंद पुत्र देवकरण हिस्सा 4/5 सुनिता पुत्री देवकरण जाति मीणा सादेह. के खाते राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मांगरोल राजस्व रेकार्ड में अंकन कर पालना से अन्दर 15 योम में अवगत करावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर शुमार से कम होकर दाखिल दफ्तर होवे।

निर्णय आज दिनांक 25.01.2019 को सरेइजलास मजमेंआम में सुन